जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (N.E.P)–2020
स्नातक / चार वर्षीय स्नातककार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों की संरचना
Structure of UG / Four Year Undergraduade Programme(FYUP)

1. संदर्भ (Introduction)

उत्तर प्रदेश में शासनादेश संख्या–1567 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011टी.सी., दिनांक 13 जुलाई 2021 द्वारा लागूNEP-2020की संरचना में यू0जी0सी0 द्वारा माह दिसम्बर, 2022 में जारी किये गये Curriculum & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP)में 20 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के प्रावधान को शासनादेश संख्या–2090 / सत्तर–3–2024 –09(01) / 2023(L4), दिनांक 02सितम्बर 2024 द्वारा अंगीकृत किया गया है।उनका विस्तृत विवरण एवं संशोधित तालिका निम्नवत् है:

2. क्षेत्र (Scope)

2.1 (अ) यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदिसंकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद)कार्यक्रमों में लागू होगी।
(ब)त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स)तथा एकल विषयक / संकाय स्नातककार्यक्रमों में भी लागू होगी।

2.2 (अ)त्रिवर्षीय स्नातकस्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Common Minimum Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू रहेंगे।
(ब)चार वर्षीय स्नातक(FYUP)कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जाएगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2.3 यह सभी व्यवस्थाएं सत्र 2025–26 से लागू होंगी।

2.4 अन्य संकायों अथवा कार्यक्रमों यथा – चिकित्सा, तकनीकी, शिक्षक शिक्षा, कृषि, विधि आदि में नियामक संस्थाओं के नियम लागू हाते हैं, उन के लिए व्यवस्था का निर्धारण नियामक संस्थाओं यथा – एम.सी.आइ., ए.आई.सी.टी.ई., एन.सी.टी.ई., आदि के एन.ई.पी.–2020 के अनुरूप नये पाठ्क्रम व संरचना आने पर किया जाएगा।

3. परिभाषाएं

3.1 पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (Programme)
एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री एवं चार वर्ष की स्नातक (मानद)डिग्री।

3.2 संकाय (Faculty)

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है, यथा–कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिए संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या–1267 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011, दिनांकः 15.06.2021 के अनुसार होगी।

3.2.3 कला संकाय से विभाजित भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिए अलग संकाय माना जायेगा, किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.) की प्रदान की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

3.2.4 संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के हेतु है। विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्थाचल रही है, वह यथावत रहेगी। (शासनादेश संख्या 1276/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनांक 16.06.2021)

3.3 विषय (Subjects) - यथा

3.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचिबद्ध होगा।

3.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/ Paper)

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी, प्रैक्टिकल एवं शोध परियोजना के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा।

4. मुख्य (मेजर) विषय तथा गौड़ (माइनर)विषय

4.1 प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्षीय स्नातक डिग्री हेतु होगा।

4.2 विद्यार्थी को प्रवेश के समय अपनी शैक्षणिक अर्हतानुसार एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चयन करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। कला संकाय के अन्तर्गत (i) भाषा संकाय, (ii) कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय और (iii) ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय के सभी विषय समाहित हैं। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा। विद्यार्थी इन चयनित विषयों का अध्ययन तीन वर्ष तक करेगा।

4.3 विद्यार्थी तीसरे गौण (माइनर) विषय का चयन निम्नानुसार करेंगे:

- **विज्ञान संकाय के विद्यार्थी माइनर विषय का चयन केवल विज्ञान संकाय के विषयों में से ही करेंगे।**
- **कला संकाय के विद्यार्थी (i) भाषा संकाय, (ii) कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय और (iii) ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय के विषयों में से ही माइनर विषय का चयन करेंगे।**

स्नातक के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो के प्रत्येक विषम सेमेस्टर में छः क्रेडिटका एक माइनर कोर्स (6×2=12 क्रेडिट के कुल दो कोर्स) करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी किसी भी मुख्य (मेजर) विषय को गौण (माइनर) विषय के रूप में चयन कर सकता है तथा अध्ययन केवल प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में ही करेगा। प्रायोगिक विषय होने की दशा में वह थ्योरी एवं प्रैक्टिकल दोनों का अध्ययन करेगा।चुने हुए माइनर पेपर/कोर्स की कक्षाएं संकाय में संचालित मेजर पेपर/कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी। माइनर पेपर/कोर्स की परीक्षा भी मेजर पेपर/कोर्स की परीक्षा के साथ होगी।

4.4 तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात चार वर्षीय स्नातक (मानद)डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय का चयन कर उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जाएगा।

4.5 तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी नये विषय में भी परास्नातक में प्रवेश ले सकता है, जिसमें pre-requisite के अनुसार वह अर्ह है।

4.6 विश्वविद्यालय माइनर पेपर/वोकेशनल (स्किल) कोर्स के लिये स्वयम (SWAYAM) पोर्टल या अन्य मान्यता प्राप्त ऑनलाइन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्सेज की सूची बनाकर संस्तुत कर सकता है। विद्यार्थी इन कोर्सेज का अध्ययन निःशुल्क कर सकते हैं। विश्वविद्यालय इनकी परीक्षा माइनर पेपर के साथ कराएगा।

Scanned with OKEN Scanner

4.7 यदि विद्यार्थी संस्तुत कोर्सेज को उक्त संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इनका सर्टिफिकेट महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर के लिये अधिकतम 12 क्रेडिट तथा वोकेशनल (स्किल) कोर्स के लिये 9 क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइंट इन्हीं क्रेडिट को दिये जाएंगे तथा इन्हें SGPA/CGPAकी गणना में सम्मिलित किया जाएगा।

5- कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill Enhancement Course)

5.1 स्नातक के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो के प्रथम तीन सेमेस्टर्स में तीन क्रेडिट काएक कौशल विकास कोर्स (3×3=9 क्रेडिट के कुल तीन कोर्स) करना अनिवार्य होगा।

5.2 उक्त कौशल विकास कोर्स शासनादेश संख्या – 1969/सत्तर–3–2021, दिनांक 18 अगस्त 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जाएगा।

5.3 इस कोर्स की परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 60 अंक का सतत् आन्तरिक मूल्यांकन होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 40 अंक की लिखित परीक्षा करायी जाएगी।

5.4 इन कोर्सेज में उत्तीर्ण प्रतिशत समेकित रूप से 40 प्रतिशत होगा। इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा। बैक परीक्षा की सुविधा आन्तरिक एवं बाह्य मूल्यांकन दोनों में दी जायेगी।

5.5 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम तीन सेमेस्टर्स मेंम्निलिखित कौशल विकास कोर्सेज(Skil Enhancement Courses - SECs)में से कोई एक कोर्स/पेपर लेना होगा।

सेमेस्टर 1	1. जैविक खेती Organic Farming, or 2. बीमा के सिद्धान्त एवं व्यवहार Principles and Practice of Insurance
सेमेस्टर 2	1. कृषि व्यवसाय प्रबन्धन Agribuisiness Management, or 2. विज्ञापन एवं विक्रय प्रबन्धन Advertising and Sales Management
सेमेस्टर 3	1. सामुदायिक विज्ञान Community Science, or 2. पोषण एवं स्वास्थ्य विज्ञान Nutrition and Health Science

5.6 यदि विद्यार्थी यू0जी0सी0/PMKY 4.0/केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन या उससे अधिक क्रेडिट का को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता है, तो उसे उतने क्रेडिट प्रदान कर दिये जाएंगे। विद्यार्थी अधिकतम 9 क्रेडिट (एक साथ/अलग–अलग) को कम अथवा अधिक समय में पूरा कर सकते हैं। स्नातक के लिये अधिकतम 9 क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइंट इन्हीं क्रेडिट को दिये जाएंगे तथा इन्हें SGPA/CGPAकी गणना में सम्मिलित की जाएगा।

6. सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular / Ability Enhancement Course)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक कोकरिकुलर कोर्स (2×4=8 क्रेडिट के कुल चार कोर्स) करना अनिवार्य होगा।

6.2 इस कोर्स की परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 25 अंक का सतत आन्तरिक मूल्यांकन होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंक की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

6.3 इन कोर्सेज में उत्तीर्ण प्रतिशत वही होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा। इनमें प्राप्तग्रेड्स को सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

6.4 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर्स में म्निलिखित सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular / Ability Enhancement Course - AEC) में से कोई एक कोर्स/पेपर लेना होगा।

सेमेस्टर 1	1. प्रयोजन मूलक हिन्दी 2. प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य First Aid and Health
सेमेस्टर 2	1. Basics of English Grammar 2. मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन Human Values and Environment Studies
सेमेस्टर 3	1. Communication Skills 2. शारीरिक शिक्षा एवं योग Physical Education and Yoga
सेमेस्टर 4	1. भारतीय ज्ञान परम्परा Indian Knowledge System 2. सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता Social Responsibility and Community Engagement

7. शोध परियोजना (Research Project)

7.1 स्नातक स्तर पर विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर में तीन क्रेडिट की शोध परियोजना हेतु अपने दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय का चयन करेगा तथा चतुर्थ सेमेस्टर के अन्त में शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।इसका मूल्यांकन सुपरवाइजर द्वारा 100 अंकों में किया जायेगा। इसका उत्तीर्णांक 40 अंक होगा।विद्यार्थी के अंकपत्र पर शोध परियोजना के प्राप्तांक एवं ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

7.2 शोध परियोजना इन्टरडिस्प्लिनरी/मल्टीडिस्प्लिनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है।

7.3 शोध परियोजना एक शिक्षक (सुपरवाइजर) के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। एक अन्य को–सुपरवाइजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

8. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में हेतु एक घण्टा/सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घण्टे का शिक्षण कराना होगा।

8.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्डवर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घण्टे/सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घण्टे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घण्टे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घण्टे के कार्यभार के बराबर होगा।

8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य "एकेडमिक बैंकऑफ क्रेडिट"(ABC/ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जाते हैं।

8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री

Scanned with OKEN Scanner

ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्जित करने पर चारवर्षीय स्नातक (मानद)की डिग्री ले सकते हैं।

8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा, उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender)कर 40 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (Re-credit) करेगा। यदि विद्यार्थी री–क्रेडिट (Re-credit) नहीं करता है तो नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष में 80 (40+40) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 120 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकता है।

8.6 यदि कोई तेजविद्यार्थी (Fast learner)कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) प्राप्त कर लेता है, तो विद्यार्थीको न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर डिग्री दो वर्ष बाद ही मिल जाएगी।

8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

8.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी। यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा, जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्विजिट (Pre-requisite)की आवश्यकता नहीं होगी।

8.9 यदि कोई छात्र सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8.10 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 40 प्रतिशत तक (As per UGC/NEP Guidelines) क्रेडिट ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

9. उपस्थिति एवं क्रेडिट निर्धारण

9.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

9.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारिणी

10.1 सभी उच्च शिक्षा संस्थान/महाविद्यालय प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारिणी (TimeTable) तैयार कर लेंगे, जिससे विद्यार्थी प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का

Scanned with OKEN Scanner

चुनाव कर सकें, जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होती हों ताकि उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।

10.2 सभी उच्च शिक्षा संस्थान/महाविद्यालय उस प्रकारसे समय-सारिणी तैयार करें जिससे कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों के चयन के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सकें।

11. ग्रेडिंग प्रणाली

11.1 शासनादेश संख्या 1032/सत्तर-3-2022-08(35)/2020, दिनांक 20 अप्रैल 2022 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तर पर ग्रेड्गि प्रणाली का संचालित किया जाय।

11.2 स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इसी प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली विकसित कर सकते हैं।

12. सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन

12.1 सतत आन्तरिक मूल्यांकन(Continuous Internal Evaluation)का उददेश्य केवल आन्तरिक परीक्षा नहीं है, अपितु विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यांकन करना है। एन.ई.पी.-2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों का सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE)कराया जाना है, जिसे शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे।

12.2 सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE)के लिये किसी भी प्रकार की केन्द्रीयकृत/विश्वविद्यालय स्तरीय मिड टर्म परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी।

12.3 शासनादेश संख्या 2058/सत्तर-3-2021-08(33)/2020टी0सी0, दिनांक 26 अगस्त 2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE)प्रोजेक्ट (Project), सेमिनार (Seminar), रोल प्ले (Role Play), क्विज (Quiz), पज़ल (Puzzle), टेस्ट (Test), प्रैक्टिकल (Practical), सर्वे (Survey), बुक रिव्यू (Book Review), स्टूडेंट पार्लियामेंट (Student Parliament), स्क्रीनप्ले (Screenplay), निबन्ध (Essay), एक्सटेम्पोर (Extempore), एक्जीबिशन (Exhibition), फेयर (Fair), शैक्षणिक भ्रमण (Visit), आदि के द्वारा किया जा सकता है। विद्यार्थी के सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE)के अंक प्रदान करने के लिये पाठ्येतर गतिविधियों (Extra-curricular Activities, Study Tour, Sports, Outreach Activites, Social Services, etc.)का उपयोग किया जा सकता है।

12.4 सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनके प्राप्तांक को ग्रेड में परिवर्तित किया जायेगा।

12.5 नॉन-प्रेक्टिकल विषयों (Non-Practical Subjects)में 25 अंक का सतत आन्तरिक मूल्यांकन (CIE)होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंक की लिखित परीक्षा करायी जाएगी।

12.6 प्रैक्टिकल विषयों(Practical Subjects)में केवल थ्योरी पेपर्स में 25 अंक का सतत आन्तरिक मूल्यांकन (CIE)होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा 50 अंक की लिखित परीक्षा की लिखित परीक्षा करायी जाएगी। 25 अंक की प्रायोगिक परीक्षा में सतत आन्तरिक मूल्यांकन (CIE)नहीं होगा।विषम सेमेस्टर में प्रायोगिक परीक्षा आन्तरिक परीक्षक के द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी। सम सेमेस्टर में आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षक द्वारा परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी।

12.7 वोकेशनल कोर्सेज का मूल्यांकन पूर्व की भांति शासनादेश संख्या 1969/सत्तर-3-2021,दिनांक 18 अगस्त 2021 के अनुसार किया जाएगा।

12.8 विश्वविद्यालय द्वारा वोकेशनल और कोकरिकुलर कोर्सेज की लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQ)के आधार करायी जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

13 कक्षोन्नति

13.1 स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को विषम सेमेस्टर से अगले सम सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जाएगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।

13.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जाएगी:

(क) विद्यार्थी वर्तमान वर्ष के दोनों सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो।

(ख) उसने दोनों सेमेस्टर मिलाकर कुल आवश्यक क्रेडिट का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट्स के पेपर्स (थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों।

(ग) विद्यार्थी को आवश्यक क्रेडिट प्राप्त होने पर ही उपाधि प्रदान की जायेगी।

प्रो0(आर0एन0 मिश्र) प्राचार्य, श्री मु0मनो0टा0पी0जी0 कालेज, बलिया	प्रो0(बैकुण्ठ नाथ पाण्डेय) प्राचार्य, सतीश चन्द्र कालेज, बलिया	प्रो0(अशोक कुमार सिंह) प्राचार्य, कुँवर सिंह पी0जी0 कालेज, बलिया
डॉ0(पुष्पा मिश्रा) निदेशक शैक्षणिक, विश्वविद्यालय परिसर	डॉ0(अजय कुमार चौबे) संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण संकाय	(एस0एल0 पाल) कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner